पटवारी हल्का राजपुर बड़ा V/s मानसिंह

प्रकरण सं. 87/2022 प्रवेश तिथी 4-10-22 निर्णय तिथी-27-6-23

27-6-23 आज पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है। कि गैर सायल मानसिंह पुत्र भैरू जाति बंजारा निवासी राजपुरबड़ा ने ग्राम राजपुर बड़ा के आराजी खसरा नं. 244/2303 रकबा 14.47 है भूमि-चरागाह पर 0.01 हे० भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर नोटिस क्रमांक 1955 दिनांक 4-10-22 से तलब किया गया, गैर सायल ने उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहां से स्थगन आदेश दिनांक 12/12/22 तक है। नकल आदेशिका पेश की गई।

उक्त सम्बन्ध में एक पत्रावली पूर्व से दर्ज मिसल नं. 111/2020 जेरकार है शामिल पत्रावली की गई। जिसमें माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहां से स्थगन आदेश है। शामिल पत्रावली की गई। गैर सायल को उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध मे पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का 50 वर्षों से कब्जा है। एक बंजारा जाति से है। एक मात्र आवास के अतिरिक्त और भूमि कहीं भी नहीं है। कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया गया। लेकिन माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ से वर्तमान मे स्थगन है या नहीं कोई आदेशिका पेश नहीं की गई। स्पष्ट है अब किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

लगातार —

2.

अतः गैर सायल की आराजी खसरा नम्बर 245/2307 रकबा 0.01 है भूमि चारागाह से बेदखली के आदेश दिये जाते है। एवं शास्ती स्वरूप 1/- रुपये की 50 गुणा 50/- पचास रुपये कायम की जाती है। भू. अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का राजपुर (बड़ा) को बेदखली एवं पैनल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार को राजस्व लेखो मे मॉग कायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली के तत्काल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पर न्या. पै. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार